परियोजना का नाम :— जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौडा द्वारा से चमेली चौक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.01 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मार्ग निर्माण हेतु दिनांक 17.01.2018 को राजस्व विभाग, वन विभाग व लो0नि0वि0, द्वारा उक्त सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थलीय संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वनविभाग की ओर से श्री के0पी0 वर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग राजस्व विभाग की ओर से श्रीमती मीनाक्षी कठैत राजस्व उप निरीक्षक ग्राम–द्वारा लो0नि0वि0 की ओर से श्री राजिन्द्र कुमार टम्टा सहायक अभियन्ता द्वारा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया तथा उक्त सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त पाया गया।

(श्री के0पी0 वर्मा)	17-01-18 (श्रीमती मीनाक्षी कठैत)	(श्री राजिन्द्र कुमार टम्टा)
उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग	मीनाक्षी कठैत राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र — ग्राम द्वारा तहसील देहरादून	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0, ऋषिकेश सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 ऋषिकेश

D.sharda manjeet letter

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड
लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश (देहरादून)

पत्रांक– /23सी0 दिनांक– 20/02/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषयः– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौडा द्वारा से चमेली चौक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.01 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 2660/12–1 दिनांक 29.01.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग निर्माण हेतु आपके द्वारा बिन्दु सं0 7 के निराकरण के सम्बन्ध में वन विभाग के उप प्रभागीय वनाधिकारी राजस्व विभाग तथा लो0नि0वि0 के साथ दि0 17.01.2018 को हुई स्थलीय जांच रिपोर्ट समुहर हस्ताक्षर कराकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग निर्माण हेतु उक्त ऑनलाईन प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न :– उक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

o/c

पत्रांक– 118 /23सी0 दिनांक– 20/02/2018

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता /खण्डीय अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

o/c

D:sharda manjeet letter